

**04 शांति अन्तरराज्यीय टप्पेबाज कीमत करीब 2.25 लाख रू0 की ज्वैलरी के साथ गिरफ्तार ।**

**घटना का विवरण-**

दिनांक 16.02.2021 को वादी श्री सागर पुत्र श्री कृष्णमुरारी नि0 ग्राम व पोस्ट मदारीपुर थाना कुठौन्द जनपद जालौन ने सूचना दी कि प्रार्थी की ज्वैलर्स की दुकान मदारीपुर में बेनीप्रसाद ज्वैलर्स के नाम से है आज प्रातः 10 बजकर 25 मिनट पर 02 पुरुष, 02 महिला ज्वैलरी खरीदने के लिये आये फिर उनके द्वारा अंगूठी व बृजवाला दिखाने के लिये कहा गया मेरे द्वारा उन लोगो को अंगूठी व बृजवाला दिखाया गया, उन लोगों ने ज्वैलरी देखने के उपरान्त कहा कि यह ज्वैलरी मुझे पसन्द नहीं है कह कर दुकान से निकल गये उनके जाने के उपरान्त जब मेरे द्वारा दिखाये गयी ज्वैलरी का मिलान किया गया तो उसमें से 03 अंगूठी जनानी 03 अंगूठी मर्दाना व 02 बृजवाला जिस पर K.M होल्मार्क के गायब थे, इस सम्बन्ध में मेरे द्वार पुलिस को सूचना दी गई ।

उक्त सूचना पर थाना कुठौन्द पुलिस द्वारा मौके पर जाकर उपरोक्त 04 अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर तलाशी ली गयी जिनके पास से 6 अंगूठी 02 बृजवाला पीली धातु K.M होल्मार्क व 01 जोड़ी झुमकी पीली धातु का सामान बरामद हुआ जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर वादी श्री सागर पुत्र श्री कृष्णमुरारी नि0 ग्राम व पोस्ट मदारीपुर थाना कुठौन्द जनपद जालौन की तहरीर पर मु0अ0सं0 41/21 धारा 379/411 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया ।

**गिरफ्तारी का स्थान , दिनांक व समय –**

आज दि0. 16.02.2021 को कुठौन्द पुलिस द्वारा समय करीब 10.55 बजे मदारीपुर सड़क से बरामद सुदा माल के साथ गिरफ्तार किया गया ।

**गिरफ्तार अभि0गण का विवरण -**

- 1.विक्रम पुत्र छित्तर नि0 ग्राम नगली थाना एम.आई. एरिया जनपद अलवर राजस्थान ।
- 2.पप्पू पुत्र पूनिया नि0 ग्राम शालपुर थाना अरावली विहार जनपद अलवर राजस्थान ।
- 3-रोशनी पत्नी पप्पू नि0 ग्राम शालपुर थाना अरावली विहार जनपद अलवर राजस्थान ।
- 4-मन्जू पत्नी विक्रम नि0 ग्राम नगली थाना एम.आई. एरिया जनपद अलवर राजस्थान ।

**बरामदगी का विवरण –**

- 1- 06 जोड़ी अंगूठी पीली धातु
- 2- 2 जोड़ी बृजवाला पीली धातु
- 3- 01 जोड़ी झुमकी पीली धातु
- 4- 04 अदद मोबाइल

उपरोक्त ज्वैलरी का वजन करीब 40 ग्राम जिनकी अनुमानित कीमत करीब 2.25 लाख रू0

पूँछताछ में अभियुक्तगणों द्वारा स्वीकार किया गया की सितम्बर के माह में हम लोग ने इसी दुकान में इस तरह की धोखाधड़ी कर ज्वैलरी ले गये थे जिसमें से एक जोड़ी झुमकी उसी घटना से सम्बन्धित है तथा हम लोग धर्मेन्द्र पुत्र रामकुमार नि0 जनपद नोहा हरियाणा के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश व राजस्थान व अन्य राज्यों के छोटे-छोटे जनपद व कस्बों में जाकर इस प्रकार की घटना करते हैं ।

**अभियुक्त का आपराधिक इतिहास –**

1. मु0अ0सं0 243/20 धारा 379 भा0द0वि0 थाना कुठौन्द जनपद जालौन अभियुक्तगणों के विषय में अन्य जनपदों व अन्य राज्यों से अपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है ।

**गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण –**

- 1- श्री अरुण कुमार तिवारी थानाध्यक्ष कुठौन्द
- 2- उ0नि0 गोकुल सिंह थाना कुठौन्द
- 3- का0 1980 प्रदीप सिंह थाना कुठौन्द
- 4- का0 1981 शिवम थाना कुठौन्द
- 5- म0का0 1023 शान्ती देवी थाना कुठौन्द
- 6- म0का0 1840 रागनी देवी थाना कुठौन्द

